इकाई 1 यूरोपीय संघटन का इतिहास तथा विकास

संरचना

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देष्य

1.2 यूरोपीय समुदाय का उद्‌भव तथा विकास

1.3 यूरोपीय समुदाय का गठन

1.4 एकल यूरोपीय अधिनियम

1.5 यूरोपीय संघ संधि (मैस्टरिक संधि)

1.6 अमस्टरडम तथा नाईस संधियाँ

1.7 सारांष

1.8 अभ्यास प्रष्न

1.9 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.0 प्रस्तावना

यूरोपीय संघ (European Union; EU) एक अद्वितीय संस्था है – अद्वितीय इस अर्थ में कि यह न तो एक परिसंघ है और न ही संघ (Federation)। यह संघ तथा परिसंघ के बीचोंबीच एक संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र की तरह भी नहीं है, जो स्वतंत्र राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय (supernational) संस्था है और न ही यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक संघ है। यह एक अधिराष्ट्रीय संस्था है – स्वतंत्र यूरोपीय राज्यों का एक ऐसा संगठन जिसने द्वितीय विष्व युद्ध के बाद यह अनुभव किया कि यूरोपीय राज्यों में परस्पर युद्ध विनाषकारी होगा तथा यदि वे विष्व स्तर पर राष्ट्रों के समुदाय में अपने परम्परागत महत्व को बनाए रखना चाहते हैं तो इनका परस्पर विरोधी हितों में विलय अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने आर्थिक–प्राकृतिक संसाधनों का एकीकरण कर लेते हैं तो उनकी अपनी–अपनी संसाधन स्थिति भी शक्तिषाली हो जाएगी। युद्धोपरान्त यूरोपीय देषों के

पास दो ही विकल्प थे : "इकट्ठे हो जाओ या नष्ट हो जाओ" (Unite or Perish)। उन्होंने प्रथम विकल्प चुना तथा कालान्तर में अनेक संधियाँ तथा समझौते किए जिनकी पराकाष्ठा (culminated) 1992 में यूरोपीय संघ के रूप में हुई। इस इकाई में हम यूरोपीय संघ की विकास प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।

1.1 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगे:

- यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि, उद्भव तथा निर्माण (background, origin and formulation);
- यूरोपीय संघ के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया; और
- वे उद्देष्य एवं कार्य जिनके लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया है।

1.2 यूरोपीय समुदाय का उद्भव तथा विकास

विक्टर ह्यूगो (Victor Hugo) पहला यूरोपीय विचारक था जिसने एकीकृत यूरोप का सपना देखा। उसके बाद "संयुक्त राज्य यूरोप" (United States of Europe) का विचार जीन मौन्नट (Jean Monnet) द्वारा प्रस्तुत किया गया। तथापि यूरोप के वास्तविक एकीकरण का श्रेय फ्रांस के विदेषमंत्री रॉबर्ट शुमन (Robert Schuman) को जाता है जिसने इस दिषा में पहल की। उसने एक संगठित सत्ता के नियंत्रण में यूरोप के लोहे तथा कोयले के प्राकृतिक संसाधनों तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग के सम्पूर्ण साधनों को इकट्ठा करके यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय (European Coal and Steel Community; ECSC) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस योजना को मूमन योजना के नाम से जाना जाता है। यूरोप के छह देषों – फ्रांस, जर्मनी, इटली, बैल्जियम, नीदरलैण्ड तथा लग्ज़मबर्ग – ने इस संस्था के निर्माण को अपनी स्वीकृति दी तथा इसके लिए 1951 में पेरिस की संधि पर

हस्ताक्षर किए। इन छह सदस्यों को यूरोपीय संघ के मूल छह का नाम भी दिया जाता है। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय एक सफल प्रयास सिद्ध हुआ। इससे सभी सदस्यों को लाभ हुआ तथा अन्य क्षेत्रों में आर्थिक विस्तार के लिए समुचित प्रेरणा भी मिली।

यूरोपीय संघ के निर्माण में अगला कदम 1957 में रोम की संधि के माध्यम से दो अन्य संस्थाओं का निर्माण था – यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community; EEC) तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय (European Atomic Energy Community; EURATOM)। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देष्य सदस्य–देषों के बीच व्यापार तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी बाधाओं को हटाना था ताकि समुदाय के क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी तथा लोगों का निर्बाध आवागमन हो सके। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का अंतिम उद्देष्य पष्चिमी यूरोप के लिए सांझा बाज़ार की स्थापना थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना के समय ब्रिटेन को इसमें सम्मिलित होने का न्यौता दिया गया था परन्तु सांझी सीमा शुल्क नीति (external tariff policy) को लेकर ब्रिटेन की कुछ शंकाएँ थी। इसकी माँग थी कि ब्रिटेन के पुराने उपनिवेषों (जो अब कॉमनवेल्थ के राज्य थे) के साथ वरणात्मक व्यवहार किया जाए तथा यूरोपीय सांझा बाज़ार को नाटो की तरह पार–अटलांटिक संस्था बनाया जाए। परन्तु फ्रांस के राष्ट्रपति (Charles De Gaulle) ने ब्रिटेन के इन प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप ब्रिटेन में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1959 में एक अलग संस्था बनाने की पहल की जिसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संस्था (European Free Trade Association; EFTA) का नाम दिया गया। इसके सदस्य थे : ब्रिटेन, आयरलैण्ड, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड तथा स्विजरलैण्ड। इस संस्था ने अगले दस सालों में आंतरिक सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय संघ के "आंतरिक छह" (Inner Six) के विपरीत इस संस्था को "बाहरी सात" (Outer Seven) की संज्ञा दी गई। यह संस्था यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिद्वंद्वी थी। परन्तु यह अधिक समय तक नहीं चल सकी तथा धीरे–धीरे बिखर गई। इसके सदस्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित हो गए।

1961 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हरोल्ड मैकमिलन (Harold Macmillan) ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने के लिए आवेदनपत्र दिया परन्तु फ्रांस के राष्ट्रपति डिंगाल (De

Gaulle) ने ब्रिटेन की सदस्यता रोकने के लिए "वीटो" शक्ति का प्रयोग करने की धमकी दी। डिंगाल ने ब्रिटेन को यूरोपीय राष्ट्र मानने से ही इनकार कर दिया तथा इसे अमरीकी महाद्वीप का विस्तार मात्र माना। अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए उसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विनस्टन चर्चिल (Winston Churchill) के उस वक्तव्य का हवाला दिया जिसमें उसने अटलांटिक को यूरोपीय मुख्यभूमि से ब्रिटेन को अलग करने वाले इंगलिष चैनल (English Channel) से भी छोटा कहा था। तथापि डिगाल की मृत्यु के बाद फ्रांस की ब्रिटेन के प्रति नाराज़गी थोड़ी ठन्ड़ी पड़ गई। अगले राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिदयू (George Pompidou) ने ब्रिटेन की सदस्यता को मान्यता दे दी। परिणामस्वरूप ब्रिटेन द्वारा निर्मित यूरोपीय मुक्त व्यापार संस्था पूरी तरह तितर–बितर हो गई तथा इसके सभी सदस्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित हो गए।

जनवरी 1972 में हस्ताक्षरित संधियों के अनुसार ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैण्ड 1 जनवरी 1993 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बन गए। हालाँकि नार्वे ने भी अधिमिलन समझौते को स्वीकार कर लिया परन्तु जनमत–संग्रह में इसे जनता की स्वीकृति नहीं मिल सकी। इसी तरह डेनमार्क तथा आयरलैण्ड में भी संविधान के अनुसार जनमत–संग्रह हुआ और दोनों देषों की जनता ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। आगे आने वाले वर्षों में यूरोपीय समुदाय में लगातार वृद्धि होती रही। 1981 में ग्रीस तथा 1986 में स्पेन तथा पुर्तगाल के सम्मिलित होने से यूरोपीय समुदाय की संख्या दुगुनी (12) हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय समुदाय में लगातार प्रसार हो रहा है। बर्लिन की दीवार (जो पूर्वी तथा पष्चिमी यूरोप की प्रतीक थी) के गिरने, जर्मनी के एकीकरण, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देषों के पतन तथा सोवियत संघ के पतन ने वैचारिक विभाजन से मुक्त एक नए एकीकृत यूरोप के उदय के शक्तिषाली संकेत दिए हैं।

यूरोपीय समुदाय में पूर्वी यूरोपीय देषों का अभिमिलन समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अतिरिक्त पूर्व सोवियत संघ के कुछ सदस्यों ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने की कोषिष की और सफल भी हुए। अब यह पष्चिमी यूरोपीय समुदाय न होकर वास्तविक यूरोपीय समुदाय बनता जा रहा है। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए तथा यूरोपीय समुदाय की सदस्य संख्या

15 हो गई। मई 2004 में समुदाय की सदस्य संख्या में अधिकतम बढ़ोतरी हुई जब दस नए सदस्यों को एक साथ सम्मिलित किया गया। ये देष हैं : पौलेण्ड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लैटविया, लिथूनिया, इस्टोनिया, स्लोवेनिया, साईप्रस तथा माल्टा। इसके बाद समुदाय की संख्या 25 हो गई। प्रसार की प्रक्रिया अभी जारी है और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी यह चलती रहेगी। जनवरी 2007 में रोमानिया, तथा बल्गारिया सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त अल्बानिया, बोस्निया, क्रोषिया, टर्की, पूर्व सोवियत संघ के कुछ राज्य तथा यूगोस्लाविया भी इस समुदाय का सदस्य बनने के इच्छुक हैं। हालाँकि टर्की के 1963 से समुदाय के साथ औपचारिक सम्बन्ध रहे हैं परन्तु सदस्यता के लिए समझौता वार्ता 2005 में आरंभ हुई। यूरोपीय समुदाय का मानना है कि नाटो के सदस्य होने के नाते टर्की समुदाय का सदस्य बनने के लिए उपयुक्त है परन्तु यूरोप से धार्मिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता तथा ग्रीस के साथ विरोध (जिसका साईप्रस के मुद्दे पर टर्की से झगड़ा है) इसकी सदस्यता में आड़े आते रहे हैं।

यूरोपीय समुदाय के अवरोधी तथा निरंतर विकास (consistent expansion) ने इसे भारी–भरकम संस्था बना दिया है। इसमें अब कई क्षेत्रीय विषमताएँ (regional disparities) हैं तथा समुदाय के विभिन्न सदस्यों के नागरिकों के जीवन स्तर में काफी अन्तर है। प्रारंभिक सामाजिक एकरूपता तथा समरूपता (cohesion and homogeneity) धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। इसका प्रसार कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है तथा इसके मूल तर्क – कि यूरोप का एक स्वर होगा – में कमी ला रहा है। दूसरी तरफ इसके प्रसार ने यूरोपीय समुदाय को वास्तव में यूरोपीय संस्था बना दिया है। समुदाय ने यूरोप को संसार का सबसे बड़ा बाज़ार यह कहना गलत नहीं कि अमेरिका तथा चीन से भी बड़ा बाज़ार बना दिया है। इसके पास 50 करोड़ से भी अधिक समृद्ध उपभोक्ता है जिनकी क्रय–षक्ति संसार में अधिकतम है।

1.3 यूरोपीय समुदाय का गठन

यूरोपीय समुदाय (European Community; EC) का गठन उस प्रक्रिया की पराकाष्ठा थी जो पेरिस की संधि (1951) से आरंभ हुई (जिसके माध्यम से यूरोपीय कोयला तथा इस्पात

समुदाय (ECSC) की स्थापना हुई थी)। इस सफलता ने और अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय (**Eur**opean **Atom**ic Energy Community; EURATOM) का गठन किया गया। 1957 में यूरोपीय आर्थिक संघटन की तीन मुख्य संस्थाओं – यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय – का विलय करके एक नए संगठन का निर्माण किया गया जिसे यूरोपीय समुदाय कहा गया। यूरोपीय समुदाय को एक विलय संधि के माध्यम से स्थापित किया गया जिसे अधिकाधिक तौर पर "यूरोपीय समुदाय में एकल परिषद और एकल आयोग की स्थापना की संधि" (Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities) कहा जाता है। इस विलय संधि (Merger Treaty) पर अप्रैल 1965 में हस्ताक्षर हुए तथा 1967 में इसे लागू किया गया। इसमें तीन यूरोपीय संस्थाओं के संगठनात्मक ढाँचों का भी विलय कर दिया गया। इन संस्थाओं के प्रषासन के लिए एक यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय समुदायों की समिति का गठन किया गया। तीनों संस्थाओं के बजट का भी एकल समूह में विलय कर दिया गया। यह विलय संधि कई अर्थों में यूरोपीय संघ की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद से यूरोपीय समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 1957 में एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य आरंभ किया परन्तु धीरे–धीरे इसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भी होने लगा। इस दौरान 2002 में पेरिस की संधि की समाप्ति के बाद यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का अस्तित्व भी समाप्त हो गया तथा इसके सभी आस्तियाँ (सम्पत्ति) तथा दायित्व (Assets and liabilities) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सौंप दिए गए। 1993 में मैस्टरिक संधि के अनुमोदन से यूरोपीय आर्थिक समुदाय में से आर्थिक शब्द हटा दिया गया और अब यह यूरोपीय समुदाय कहलाने लगा। अपनी दो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं – सांझी विदेष तथा सुरक्षा नीति (Common Foreign and Security Policy ; CFSP) तथा पुलिस एवं न्यायिक सहयोग (Police and Judicial Cooperation (PJC) के साथ यूरोपीय समुदाय समकालीन यूरोपीय संघ में बदल गया।

यूरोपीय समुदाय यूरोपीय उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसका उद्देष्य है कि यूरोप के उत्पादक को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले तथा उपभोक्ता को अपने धन का उचित उत्पाद। इसके अतिरिक्त यूरोपीय समुदाय सम्पोषित विकास के प्रति भी गंभीर रूप से चिन्तित रहा है ताकि आर्थिक विकास पर्यावरण को हानि न पहुँचाएँ। यूरोपीय समुदाय के अधिकतर सदस्यों ने व्यापार तथा सीमा शुल्क की सांझी नीति अपनाई है जो इन सदस्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती।

यूरोपीय समुदाय के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण विषय कृषि था। इसमें यूरोप के किसानों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए यूरोपीय समुदाय ने सांझी कृषि नीति (Common Agriculture Policy; CAP) अपनाई जिसके अन्तर्गत इसने किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक सहायता/अनुदान दिया। इसके परिणामस्वरूप कई बार उत्पादन इतना अधिक हो गया कि उसे बेचने में परेषानी आने लगी। अतः यूरोपीय समुदाय ने अपनी कृषि नीति में थोड़ा परिवर्तन किया। अब यह सस्ते कृषि उत्पादन के बजाय गुणकारी कृषि उत्पाद तथा डेरी उत्पाद को अधिक महत्व देती है जो यूरोपीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी गुणकारी है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है।

1.4 एकल यूरोपीय अधिनियम

एकल यूरोपीय अधिनियम (Single European Act) का श्रेय यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैक डेलोरस (Jacques Delores) को जाता है जिसने 1985 में एक श्वेत पत्र (White Paper) तैयार किया जिसके आधार पर एकल यूरोपीय अधिनियम बनाया गया। इस श्वेत पत्र में स्पष्ट किया गया कि यदि यूरोप में एकल/सांझे बाज़ार की स्थापना कर दी जाए तथा वस्तुओं, सेवाओं एवं लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएँ तो यह प्रसरणषील यूरोपीय समुदाय 30 करोड़ यूरोपीय उपभोक्ताओं की आवष्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के योग्य हो सकता है।

एकल यूरोपीय अधिनियम पर 1986 में हस्ताक्षर किए गए जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्यों ने निष्चित समय–सारणी के अनुसार कार्य करते हुए 1993 तक सांझा बाज़ार स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निष्चय किया। इसके बाद की प्रगति काफी तेज़ गति से हुई। व्यापार, व्यवसाय, मज़दूर–संगठन सभी ने स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालना आरंभ कर दिया। आम जनजीवन में इनके अनेक लाभ शीघ्र ही दिखाई देने लगे। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि बेहतर हो गई। व्यापार तथा मौज़मस्ती के लिए लोग सारे देषों में आसानी से आ जा सकते थे। इसने यूरोप में एकल/सांझे बाज़ार को जन्म दिया जहाँ विभिन्न सदस्य–देषों में व्यापार तथा सीमा–षुल्क जैसे कोई बंधन नहीं थे। यूरोपीय समुदाय ने यह आष्वासन दिया कि वस्तुओं और व्यक्तियों का आवागमन निर्बाध हो।

संक्षेप में, यूरोपीय संघ के निर्माण के बाद व्यक्तियों तथा वस्तुओं के आवागमन पर लगे प्रतिबंध या तो हटा दिए गए हैं या बहुत कम कर दिए गए हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य–देषों की सीमाओं पर पासपोर्ट निरीक्षण प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है। इन सभी देषों के लिए एकल पासपोर्ट व्यवस्था शुरु की गई डिग्री और सटिफिकेटों को सभी देषों में एक जैसी मान्यता दी जाती है। चिकित्सक अथवा वकील यूरोपीय संघ के किसी भी देष में जाकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तथापि वस्तुओं और सेवाओं का आदान–प्रदान अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। विभिन्न देषों की मुद्राओं के स्थान पर यूरो का प्रचलन एकल बाज़ार की दिषा में महत्वपूर्ण कदम था। यूरो ने यूरोपीय संघ के देषों के नागरिकों में एकता की भावना जगाई है। हालाँकि वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आदान–प्रदान की दिषा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

यूरोपीय संघ की अधिकतम धन सम्पदा का स्रोत इसका सेवा क्षेत्र (Service Sector) है जिसका अधिकाधिक उदारीकरण किया गया है। दूर–संचार क्षेत्रों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप फोन सेवा शुल्क में अत्याधिक गिरावट आ गई।

इसी तरह गैस तथा बिजली के क्षेत्र में भी एकल बाज़ार की स्थापना के प्रयत्न किए जा रहे हैं। परन्तु ऊर्जा एक संवेदनषील विषय है। उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर ऊर्जा

की आपूर्ति यूरोपीय संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसी तरह यूरोपीय संघ के सदस्य जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को सीमित करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। यूरोपीय संघ का उद्देष्य ऊर्जा के नवीकृत स्रोतों का विकास करना है ताकि जीवाष्म ईंधन (fossil fuels) पर निर्भरता कम की जा सके। पर्यावरण तथा ऊर्जा संरक्षण यूरोपीय संघ की परिवहन नीति का अभिन्न अंग है। यूरोपीय संघ में माल का 75 प्रतिषत से अधिक आवागमन सड़क के रास्तों से होता है जिसके कारण ऊर्जा की खपत अधिक है, ट्रैफिक जाम भी होते हैं तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यूरोपीय संघ इस सड़ां पर हो रहे व्यापक आवागमन को रेल तथा जलमार्गों की तरफ मोड़ने का इरादा रखता है।

यूरोपीय संघ के लिए एक ऐसी परिवहन नीति की आवष्यकता अनुभव की गई जिससे सीमा रहित एकल यूरोपीय बाज़ार में वस्तुओं और व्यक्तियों का मुक्त आवागमन हो सके। इसके लिए यूरोपीय संघ की रेल व्यवस्था को संघठित करने तथा इसमें सुधार लाने की आवष्यकता है। हवाई यातायात में भी सुधार लाने तथा यूरोपीय संघ के विभिन्न देषों के हवाई यातायात नियंत्रण (Air traffic control; ATC) का एकीकरण करके इसे "एकल यूरोपीय हवाई सेवा" (single European sky) में परिवर्तित करने की आवष्यकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ की डाक सेवा का भी उदारीकरण किया जा रहा है और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है। संक्षेप में, यूरोपीय संघ का उद्देष्य है कि उसके नागरिकों को सभी सार्वजनिक सुविधाएँ – जैसे परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, पानी–बिजली – उचित कीमतों पर मिल सकें। यद्यपि काफी समय तक इन सार्वजनिक सेवाओं पर विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का आधिपत्य था किन्तु अब इन्हें परस्पर प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जा रहा है। इससे लोगों की अधिकतम नौकरियाँ मिल सकेंगी, सेवाओं में सुधार होगा तथा यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।

1.5 यूरोपीय संघ संधि (मैस्टरिक संधि)

यूरोपीय संघ संधि जिसे मैस्टरिक संधि (Maastricht Treaty) का नाम दिया जाता है, एकल समुदाय के निर्माण की दिषा में नया चरण था। इस पर 7 फरवरी 1992 को

नीदरलैण्ड के शहर मैस्टरिक में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 1 नवम्बर 1993 को लागू हुई। यूरोप की संघटन प्रक्रिया में मैस्टरिक संधि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पेरिस तथा रोम की संधियों में संषोधन किया गया तथा एकल यूरोपीय अधिनियम में प्रसार करके इसके कार्यक्षेत्र तथा गतिविधियों में काफी विस्तार कर दिया गया। सांझा बाज़ार निर्माण के प्रारंभिक उद्देष्य के साथ अब राजनीतिक तथा वित्तीय संघटन के संदर्भ में चली लम्बी चर्चाओं का परिणाम था। मैस्टरिक संधि में तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रावधान किया गया : यूरोपीय आर्थिक तथा वित्तीय समुदाय (Economic and Monetary Union (EMU), एक सांझी मुद्रा – यूरो (common currency--the Euro), तथा एकल नियामक निकाय – यूरोपीय केन्द्रीय बैक (single regulatory body-- the European Central Bank)। इस संधि ने यूरोपीय संघ के सदस्य–देषों को सम्पूर्ण एकल आर्थिक तथा वित्तीय समुदाय में परिवर्तित कर दिया। अब यूरोप के नागरिक किसी भी देष में खरीद–फरोख्त कर सकते थे।

यूरोपीय समुदाय का सम्बन्ध मूलतः आर्थिक तथा व्यापारिक मामलों से था। मैस्टरिक संधि के बाद सहयोग का यह दायरा आर्थिक क्रियाकलापों के साथ–साथ राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ता चला गया। यूरोपीय संघ के बारे में कहा जाता है कि जहाँ आर्थिक क्षेत्र में यह एक दैत्य है, वहाँ राजनीतिक तथा रणनीति क्षेत्रों में यह बौना (pigmy) रहा है। मैस्टरिक संधि ने इस असंतुलन को समाप्त करने का कार्य किया तथा यूरोपीय संघ के सदस्य–देषों की सामाजिक तथा राजनीतिक एकता को सशक्त करने का प्रयत्न किया।

मैस्टरिक संधि ने यूरोपीय संघ के लिए त्रि–स्तम्भीय ढाँचा (three pillar-structures) प्रस्तुत किया। इसका पहला स्तम्भ था आर्थिक तथा सामाजिक नीति (Economic and Social Policy; ESP)। दूसरा स्तम्भ था : सांझी विदेष तथा सुरक्षा नीति (Common Foreign and Security Policy; CFSP), तथा तीसरा स्तम्भ था : न्याय तथा ग्रह मामले (Justice and Home Affairs; JHA)। पहला स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण तथा निर्णयाक था क्योंकि यूरोपीय संघ की नागरिकता, समुदाय की नीतियाँ, आर्थिक तथा वित्तीय समुदाय से संबंधित मामले इसी के अन्तर्गत आते थे। सांझी विदेष एवं सुरक्षा नीति का निर्माण

यूरोपीय राजनीतिक सहयोग की नींव पर किया गया। न्याय तथा ग्रह मामले का उद्देष्य कानून कार्यान्वयन, फौजदारी न्याय, नागरिक न्यायिक मामलों, शरणागति तथा अप्रवासी मामलों में समन्वय करके आपराधिक मामलों में पुलिस तथा न्यायिक सहयोग करना था।

यूरोपीय संघ की कार्य प्रणाली के संदर्भ में मैस्टरिक संधि "पूरक/सहायक सिद्धान्त" (principle of 'subsidiarity) पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यूरोपीय संघ तथा इसकी सहायक संस्थाएँ अपने स्तर पर तभी कार्य करेंगी यदि वे राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर से बेहतर और अधिक निपुणता से कर सकती है। यह सिद्धान्त इस बात का आष्वासन देता है कि यूरोपीय संघ राष्ट्रीय सरकारों की कार्यविधि अथवा नागरिकों के जनजीवन में अनावष्यक हस्तक्षेप नहीं करता। यूरोपीय अस्मिता (European identity) का संरक्षण यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु इसका अर्थ समरूपता (uniformity) नहीं है। यूरोपीय संघ के विभिन्न देष अपनी पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं।

मैस्टरिक संधि की अभिपुष्टि (ratification) काफी मुष्किल थी। डेनमार्क ने पहले इसे रद्द कर दिया और बाद में दूसरे जनमत संग्रह में इसका अनुमोदन किया। फ्रांस में इसकी अभिपुष्टि अत्यधिक न्यूनतम बहुमत से हुई। ब्रिटेन में भी यही स्थिति थी, जहाँ इसने जॉन मेजर की सरकार के लिए भारी संकट खड़ा कर दिया। इस संधि की अभिपुष्टि के लिए सम्पूर्ण यूरोप अत्यधिक विभाजित था। आधुनिक यूरोप के इतिहास में यह सबसे अधिक विवादापस्द संधि रही है। तथापि अन्ततोगत्वा सभी मुष्किलों पर विजय पा ली गई तथा नवम्बर 1993 में यह लागू हो गई।

1996 में यूरोपीय संघ परिषद के अंतर्गत टूरिन में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देष्य मैस्टरिक संधि में सुधार लाने के लिए एक नई संधि के बारे में विचार करना था। इस सम्मेलन के विषय थे : यूरोपीय संघ की भूमिका को सषक्त बनाना, यूरोपीय संघ की संस्थाओं में सुधार लाना, तथा पूर्वी एवं केन्द्रीय यूरोप के देषों को यूरोपीय संघ में सम्मिलित करना। लम्बी तथा जटिल चर्चाओं के बाद 1997 में यूरोपीय परिषद के अमस्टरडम में हुए सम्मेलन में सदस्य–राज्यों की सहमति प्राप्त की गई और अमस्टरडम की संधि का स्वरूप उभारा।

1.6 अमस्टरडम तथा नाईस संधियाँ

अमस्टरडम संधि (Amsterdam Treaty) पर अक्टूबर 1997 में हस्ताक्षर हुए तथा अनुमोदन के बाद यह मई 1999 में लागू हुई। इसने यूरोपीय समुदाय तथा यूरोपीय संघ की संधियों में संषोधन किया तथा इनके स्वरूप को अक्षरों से अंकों में बदल कर पुनः अंकित किया। अमस्टरडम संधि का उद्देष्य ऐसी राजनीतिक तथा संस्थागत परिस्थितियों की रचना करना था जो यूरोपीय संघ को भावी चुनौतियों का सामना करने के योग्य बना सके जैसे अर्थव्यवस्था का वैष्वीकरण तथा रोज़गार पर इसका प्रभाव, अपराध का अर्न्तराष्ट्रीयकरण विषेषतः आतंकवाद, नषीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों का प्रसार, पर्यावरण का निम्नीकरण (degradation) तथा स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव आदि। कुछ अन्य संषोधन आयोग की रचना तथा परिषद में प्रत्येक सदस्य–देष को प्रदान किए गए वोटों के मूल्य से सम्बंधित थे।

अमस्टरडम संधि में यह घोषणा की गई कि यूरोपीय संघ की स्थापना के मूल आधार हैं : स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, मानव अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएँ तथा कानून का शासन। साथ ही संधि ने यह भी माना कि हो सकता है कि कोई देष इन मूल आधारों का उल्लंघन करें; अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संधि में कुछ प्रक्रियाएँ सुझाई गई। अमस्टरडम संधि ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जैसे स्त्री एवं पुरुष के समान अधिकार, भेदभाव का अभाव तथा तथ्यों की गोपनीयता। इसने यूरोपीय संघ के अंदर घूमने–फिरने की स्वतंत्रता में भी संषोधन किया तथा इनमें वीसा (visa), अप्रवास, शरणागति अधिकार तथा कुछ अन्य नीतियों को निहित किया गया। संधि में आपराधिक मामलों में पुलिस तथा न्यायिक सहयोग की बात भी उठाई गई।

अमस्टरडम संधि में मौलिक अधिकारों के यूरोपीय घोषणापत्र पर जोर दिया गया। यदि कोई सदस्य देष लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे यूरोपीय संघ की सदस्यता से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई। इसमें अधिकारों की भेदभावहीनता को केवल राष्ट्रीयता तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि इसे लिंग, नस्ल, धर्म, संस्कृति तथा लैंगिक पक्षों के साथ भी जोड़ दिया गया। संधि में यूरोपीय

संघ की कार्य प्रणाली में पारदर्षिता को प्रोत्साहन दिया गया तथा नागरिकों को यूरोपीय संघ के प्रापत्रों (documents) तक पहुँच का अधिकार दिया गया।

इसके अतिरिक्त अमस्टरडम संधि में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ के हितों को प्रभावषाली ढंग से सुरक्षित करने के उपाय भी प्रस्तावित किए गए। इसने सांझी विदेष तथा सुरक्षा नीति में भी कुछ परिवर्तन किए। इसमें उच्च प्रतिनिधि के नाम से एक नया पदाधिकारी नियुक्त किया गया जिसका प्रमुख कार्य विदेष तथा सुरक्षा नीतियों के क्षेत्र में यूरोपीय संघ की सांझी रणनीति के निर्माण में सहायता करना होगा। संक्षेप में, परिषद में प्रत्येक देष के वोट का सापेक्षिक मूल्य, सीमित बहुमत मतदान का विस्तार तथा आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में बढ़ोतरी, ये कुछ ऐसे संस्थागत सुधार थे जो अमस्टरडम संधि द्वारा किए गए।

इस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता सम्बन्धी धाराओं में भी परिवर्तन किया। इसने यूरोपीय तथा राष्ट्रीय नागरिकता में सम्बन्ध स्पष्ट किया। इसके अनुसार यूरोपीय संघ की नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता की पूरक है, उसका विकल्प नहीं। इसके दो व्यावहारिक निष्कर्ष थेः (i) यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य–देष का नागरिक होना आवष्यक है, तथा (ii) यूरोपीय संघ की नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता की पूरक है। इसके अतिरिक्त अमस्टरडम संधि ने यूरोप के नागरिकों को एक नया अधिकार दिया जिसके अन्तर्गत यूरोपीय संघ का प्रत्येक नागरिक यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, आयोग, न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अथवा क्षेत्रीय समिति के साथ किसी भी भाषा में पत्र व्यवहार कर सकता है और उसे उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा।

यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों को दिसम्बर 2000 में नाईस संधि (Nice Treaty) में और मज़बूत कर दिया गया जब यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के घोषणापत्र की घोषणा की गई। इस घोषणापत्र की रचना एक यूरोपीय सम्मेलन में की गई जिसमें यूरोपीय संसद, राष्ट्रीय सरकारों तथा आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस घोषणापत्र के छह भाग हैं : प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, नागरिक अधिकार तथा न्याय। घोषणापत्र के अनुच्छेद 54 में यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्यों तथा यूरोपीय

नागरिकों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा से संबंधित अध्याय में जीने का अधिकार, विचाराभिव्यक्ति तथा आत्मा की स्वतंत्रता की बात की गई है जबकि भाईचारे से संबंधित अध्याय में सम्पूर्ण यूरोपीय संघ के नागरिकों के सामाजिक–आर्थिक अधिकारों जैसे मज़दूरों के हड़ताल के अधिकार, उचित सूचनाओं का अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सहायता (social assistance) की बात सम्पूर्ण यूरोपीय संघ के लिए की गई। नाईस संधि का यह घोषणापत्र पुरुष तथा स्त्री के बीच समानता, मानवीय क्लोनिंग पर प्रतिबंध, षिषु अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, स्वस्थ वातावरण तथा सुषासन पर बल देती है।

नाईस संधि का उद्देष्य यूरोपीय संस्थाओं को यूरोपीय संघ में होने वाले और अधिक प्रसार के लिए तैयार करना था। नाईस संधि पर फरवरी 2001 में हस्ताक्षर हुए तथा विभिन्न सदस्य–देषों की संसदों द्वारा पारित होने के बाद यह फरवरी 2003 में लागू की गई। आयरलैण्ड ही एक ऐसा देष था जिसे इस संधि के अनुमोदन के लिए जनमत संग्रह की आवष्यकता थी। पहले जनमत संग्रह में लोगों ने इस संधि को नकार दिया परन्तु बाद में अपनी स्वीकृति दे दी। इस कारण संधि के लागू होने में देरी हुई।

अन्तरसरकारी सम्मेलन (Intergovernmental Conference; IGC), जिसने नाईस संधि तैयार की, को जिन चार मुख्य क्षेत्रों में संधियों के नवीनीकरण द्वारा यूरोपीय संघ के प्रसार के लिए तैयार करने का आदेष मिला हुआ था, वे थे : (i) आयोग का आकार तथा रचना, (ii) परिषद में प्रत्येक सदस्य के मत का आनुपातिक मूल्य, (iii) सीमित बहुमत मतदान का विस्तार तथा (iv) सहयोग में बढ़ोतरी। परन्तु नाईस संधि द्वारा किए गए संस्थागत सुधार सीमित तथा तकनीकी थे। संधि ने संस्थागत संतुलन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, यह तो केवल संस्थाओं की रचना तथा कार्यों में सीमित समायोजन करके सहयोग बढ़ाने तक ही सीमित रही।

नए सदस्यों के प्रवेष से पहले यूरोपीय संघ में ऐसे परिवर्तन करने के दो प्रमुख कारण थे। पहले कारण का सम्बन्ध यूरोपीय संघ के प्रसार से संबंधित संस्थाओं के मूल लेख

(Protocol) से था। इस मूललेख में मत का सापेक्षिक महत्व आयोग के आकार के साथ जुड़ा हुआ था। अभी तक आयोग में प्रत्येक देष के दो प्रतिनिधि थे परन्तु आयोग के प्रसार के बाद इसके आकार में परिवर्तन होने के कारण वे कुछ क्षतिपूर्ति चाहते थे। दूसरा, नए सदस्यों के प्रवेष के बाद, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटे देश थे, यदि मतों के मूल्य की पुरानी व्यवस्था चलती रहती है तो आयोग की निर्णय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। अन्तर–सरकारी सम्मेलन ने कई विकल्पों पर विचार किया जैसे प्रत्येक देष को उसकी जनसंख्या के अनुपात में मत देने का विचार अथवा दोहरी सामान्य बहुमत प्रणाली (अर्थात सदस्य–देषों का बहुमत तथा संघ की जनसंख्या का बहुमत)। अन्ततः समझौता, मत के मूल्य की नई प्रणाली के आधार पर हुआ जिसमें जहाँ एक तरफ सदस्य–देषों की मत संख्या में बढ़ोतरी की गई, वहाँ अधिक जनसंख्या वाले देषों को भी अधिक मत दिए गए।

इसके अतिरिक्त, सीमित बहुमत की नई परिभाषा ही नहीं की गई, साथ ही साथ एक नए परिवर्तन का भी आभास मिला। इसका अर्थ था कि परिषद के किसी सदस्य के अनुरोध पर इस बात की जाँच की जाएगी कि यदि कोई निर्णय सीमित बहुमत के आधार पर लिया जाता है तो यह आष्वस्त किया जाए कि यह बहुमत कम से कम संघ की कुल जनसंख्या का 62 प्रतिषत है। यदि यह बहुमत 62 प्रतिषत से कम है तो उस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान बाकी सभी शर्तों के अलावा है जो किसी अधिनियम को पारित करने के लिए जरूरी हैं, अर्थात् मतों का सापेक्षिक बहुमत तथा सदस्य–देषों का बहुमत। यह इस बात की गारंटी होगी कि परिषद द्वारा लिए गए फैसले यूरोपीय संघ की जनसंख्या के बहुमत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नाईस संधि के प्रावधान के अनुसार इस समय यूरोपीय संघ के विभिन्न देषों की जनसंख्या के अनुपात में बाँटे गए मतों की कुल संख्या 321 है। इनमें से परिषद द्वारा सापेक्षिक बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के लिए 232 मतों की आवष्यकता है।

1951 की पेरिस की संधि से लेकर 2001 की नाईस संधि तक यूरोपीय संघ की सात संधियाँ हो चुकी है, इन्होंने यूरोपीय संघ के प्रावधानों तथा ढाँचों को काफी जटिल बना दिया है। जैसे ही कोई संधि कानून का रूप लेती है, वह पहली संधियों का अभिन्न अंग

बन जाती है। इन सभी संधियों के मिले–जुले रूप को यूरोपीय संघ की समेकित संधि (consoldiated treaty) का नाम दिया जाता है। नाईस संधि मुख्यतः एक सुधारक संधि है ताकि यूरोपीय संघ एक 27 सदस्यीय संस्था बनने के बाद भी निपुणता से कार्य कर सके। नाईस संधि, यूरोपीय संघ की पुरानी संधि तथा यूरोपीय समुदाय की पुरानी संधियों को मिलाकर इनका समेकित रूप तैयार किया गया है।

यूरोपीय संघ कानून के शासन की धारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि इसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य संधियों पर आधारित हैं जो सभी सदस्य–देषों द्वारा स्वेच्छा अर्थात् लोकतांत्रिक ढंग से स्वीकार की गई हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ पुरानी संधियों में भी संषोधन करके उन्हें समकालीन बनाया जाता है। हाल ही में जिस नई संधि का मसौदा तैयार किया गया है उसका उद्देष्य यूरोपीय संघ का संविधान निर्माण करना है जो सभी संधियों को एक ही प्रापत्र में निहित कर देगा। इस पर अंतरसरकारी सम्मेलन तथा यूरोप के भविष्य पर सम्मेलन जैसी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इस संविधान को ब्रस्सल्स यूरोपीय परिषद में राज्यों तथा सरकारों के अध्यक्षों द्वारा जून 2004 में स्वीकृति दी गई थी तथा अक्टूबर 2004 में रोम में इस पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। अब इसे प्रत्येक सदस्य–देष के संविधान के अनुसार (संसदीय स्वीकृति अथवा जनमत संग्रह) स्वीकृति मिलना बाकी है। जब तक सभी 27 राज्यों की स्वीकृति नहीं मिल जातीं, यह संविधान लागू नहीं हो सकता।

इस समय विभिन्न यूरोपीय संधियाँ – पेरिस संधि (1951), रोम संधि (1957), विलय संधि (1969), एकल यूरोपीय संधि (1986), मैस्टरिक संधि (1992), अमस्टरडम संधि (1997), नाईस संधि (2001) – मिलकर यूरोपीय समुदाय के संविधान बनाते हैं। इन संधियाँ द्वारा राष्ट्रीय सरकारों पर न केवल कुछ जिम्मेवारियाँ डाली गई हैं अपितु नागरिकों को कुछ अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ये संधियाँ पुरानी यूरोपीय संधियों में सुधार, संषोधन अथवा वृद्धि लाती हैं। ये संधियाँ वास्तव में मौलिक कानून हैं जो नियम, निर्देष तथा नियमावलियों के रूप में विभिन्न सदस्य–देषों को अपने राष्ट्रीय कानून बनाने के आधार प्रदान करते हैं। इन सभी संधियों को अब एक समेकित संधि में निहित कर दिया गया है जो आवष्यक अनुमोदन के बाद यूरोपीय संघ का संविधान बन जाएगा। हालाँकि कुछ

सदस्य–देषों की जनता ने इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है परन्तु ऐसी आषा की जाती है कि अन्ततोगत्वा यह स्वीकृति मिल जाएगी। मैस्टरिक संधि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आयरलैण्ड की जनता ने इसे दूसरे जनमत संग्रह में स्वीकृति दे दी थी।

1.7 सारांष

पेरिस संधि से आरंभ होकर यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के माध्यम से होती हुई आज की 27 सदस्यों की यूरोपीय संघ की यात्रा लम्बी तथा उबड़–खाबड़ रही है। वर्तमान यूरोपीय संघ पिछले 50 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय की सफलता से प्रेरित होकर यूरोपीय नेताओं ने इस आर्थिक सहयोग को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने का निष्चय किया जिसका परिणाम रोम की संधि थी जिसने दो संस्थाओं का निर्माण कियाः यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय। अगले कदम में इन तीनों यूरोपीय संस्थाओं को एक विलय संधि (1967) द्वारा यूरोपीय समुदाय में मिला दिया गया। इन तीनों संस्थाओं के लिए एकल यूरोपीय आयोग तथा परिषद की रचना की गई। इनके बजट का भी विलय कर दिया गया। यूरोपीय समुदाय ने आंतरिक व्यापार सम्बन्धी सभी बंधन समाप्त कर दिए जैसे आंतरिक सीमा शुल्क, कोटा, न्यास (trust), उत्पादक संघ आदि। इसने विदेषी व्यापार पर भी समरूप सीमा शुल्क (tariff) लागू किए तथा सारे यूरोप के लिए सांझे बाज़ार की रचना की।

1967 की विलय संधि के बाद यूरोपीय संघटन की प्रक्रिया में थोड़ी ढील आने लगी। परन्तु 1981 में जैक डेलोरस की अध्यक्षता में तैयार किए गए श्वेत पत्र के बाद गतिविधियों में एक बार फिर तीव्रता आ गई। 1986 में एकल यूरोपीय अधिनियम पर हस्ताक्षर हुए जिसका उद्देष्य 1992 तक सांझे बाज़ार के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करना था। इसने संघटन की प्रक्रिया को ओर आगे बढ़ाया तथा 1993 में होने वाली मैस्टरिक संधि के लिए रास्ता साफ किया जिसे औपचारिक तौर पर यूरोपीय संघ संधि कहा जाता है। इस संधि ने आर्थिक के अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में संघटन की प्रक्रिया शुरु की। मैस्टरिक संधि त्रि–स्तरीय ढाँचों पर आधारित थी : (i) आर्थिक तथा सामाजिक नीतिः जिसमें नीतियों को यूरोपीय समुदाय की पुरानी संस्थाओं यूरोपीय कोयला

तथा इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय के माध्यम से संचालित किया जाना था। (ii) सांझी विदेष तथा सुरक्षा नीति : इसका उद्देष्य सम्पूर्ण यूरोप के लिए सांझी विदेष तथा सुरक्षा नीति का निर्माण करना था, तथा (iii) न्याय तथा गृह कार्य अर्थात् अपराधी मामलों में पुलिस तथा न्यायिक सहयोग ताकि सारे यूरोप में आतंकवाद अथवा नषीले पदार्थों आदि से संबंधित मामलों से निपटा जा सके। 1997 में हस्तांक्षरित अमस्टरडम संधि का उद्देष्य यूरोपीय संघ की संस्थाओं में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक परिवर्तन लाना था ताकि यह वैष्वीकरण तथा विष्व आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। 2001 में एक अन्य संधि अथवा नाईस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देष्य यूरोपीय संघ के सदस्यों की बढ़ोतरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों से निपटने के लिए इनकी संस्थाओं में आवष्यक परिवर्तन करना था।

यूरोपीय संघ संसार की सफलतम क्षेत्रीय संस्था है। कई अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं ने यूरोपीय संघ के मॉडल की नकल करने की कोषिष की है परन्तु वे यूरोपीय संघ की उपलब्धियों के स्तर तक नहीं पहुँच सके। यह अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए भूमिका–मॉडल (Role Model) माना जाता है। यह कहना अतिषयोक्ति नहीं होगा कि अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में क्षेत्रवाद की धारणा का श्रेय यूरोपीय संघ को जाता है। इसने यूरोप के कई देषों की पुरानी शत्रुता जैसे जर्मनी और फ्रांस में थी, को भी समाप्त कर दिया है। ये दोनों राष्ट्र यूरोपीय संघ की धारणा को व्यावहारिक रूप दिलाने में अग्रगणी थे।

1.8 अभ्यास प्रष्न

1) यूरोपीय विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए यूरोपीय संघटन सम्बन्धी विचार का वर्णन कीजिए।

2) यूरोपीय समुदाय के निर्माण तथा विष्व बाज़ार पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

3) यूरोपीय संघ के उदय तथा विकास का वर्णन कीजिए। क्या यह किलेबंदी है?

4) एकल यूरोपीय अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। यूरोप के आर्थिक एकीकरण में इसकी क्या भूमिका रही है?

5) यूरोपीय संघ अथवा मैस्टरिक संधि के विभिन्न पक्षों तथा यूरोप के सहयोग के क्षेत्र के विस्तार का विष्लेषण कीजिए।

6) अमस्टरडम तथा नाईस संधियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्षेत्रीय विस्तार, वैष्वीकरण तथा इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने में यूरोपीय संघ कितना सक्षम है?

7) यूरोपीय संघ के भविष्य का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। क्या यह यूरोपीय नागरिकों की आषाओं पर खरा उतरेगा।

1.9 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

बॉल्डवीन, रिचर्ड एवं चार्ल्स वीपलोस्ज़, *इकॉनामिक्स ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेषन,* मैकग्रा हिल, 2003।

फ्राउचर मिचल, *दी यूरोपियन रिपब्लिक,* दिल्ली : मनोहर, 2002।

जॉर्ज स्टीफन एवं इयान बैरो, *पॉलिटिक्स इन दी यूरोपियन यूनियन*, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001।

जैन, राजेन्द्र के., (संपा.) *दी यूरोपियन यूनियन इन ए चेजिंग वर्ल्ड,* दिल्ली, रेडियन्ट पब्लिषर्स, 2002।

जॉन, राबर्ट ए., *दी पॉलिटिक्स एंड इकॉनामिक्स ऑफ दी यूरोपियन यूनियन : एन इंट्रोडक्टरी टेक्सट,* दूसरा संस्करण, चेलटनहेम, नार्थथाम्पस्अन, दीवार अलगर, 2001।

टेलेर, पॉल, *दी यूरोपीयन यूनियन इन दी 1990ज,* ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996।